Economic Times Hindi Edition Delhi
1.6.2017 Page 8
Height 16.76cm Width 6.09 cm

SMS के जरिए आधार से जोड़ा जा सकता है पैन

[पीटीआई | नई दिल्ली]

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स से अपना एक SMS आधारित सुविधा के जरिए अपने आधार को परमानेंट एकाउंट नंबर (PAN) से जोड़ने के लिए कहा है। डिपार्टमेंट ने देश के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापनों के जरिए बताया है कि किस तरह एक व्यक्ति 567678 या 56161 पर एक SMS भेजकर अपने आधार को PAN के साथ जोड़ सकता है। इसके अलावा आधार को पैन के साथ लिंक करने के लिए डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर भी सुविधा दी गई है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि इनकम टैक्स की ऑनलाइन सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए इन दोनों नंबर को जोड़ना महत्वपूर्ण है

डिपार्टमेंट का कहना है कि इनकम टैक्स की ऑनलाइन सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए इन दोनों नंबर को जोड़ना महत्वपूर्ण है। यह विज्ञापन ऐसे समय में दिया गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई करने जा रहा है। सरकार ने बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए आधार नंबर को जरूरी कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस महीने की शुरुआत में आधार को PAN के साथ जोड़ने के लिए अपनी वेबसाइट पर सुविधा शुरू की थी। इस वर्ष से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए PAN को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य किया गया है। वेबसाइट पर इस सुविधा के इस्तेमाल के लिए व्यक्ति को अपना PAN नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दिए गए नाम को दर्ज करना होगा।